न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी—मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 2021/166

1. सूरज बाई पत्नी स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. हुकुम चन्द पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
3. प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. अमित कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
6. सुनील कुमार मंगल पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी श्रीराम क्लिनिक नयापुरा, सब्जीमण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)।
7. विमला पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पत्नी मदम कुमार जाति महाजन निवासी मोरी के हनुमान जी के सामने, धानमण्डी, कोटा(राज0)।
8. उषा पुत्री स्व0 प्रेमचन्द पत्नी भगवती प्रसाद जाति महाजन निवासी श्योपुर कलां, तहसील श्योपुर कलां, जिला श्योपुर कलां(मध्यप्रदेश)।
9. सुमन पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पत्नी आलोक जाति महाजन निवासी 115, चित्रगुप्त नगर, इमली फाटक, जयपुर(राज0)।
10. अनिता पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पत्नी कमल कुमार जाति महाजन निवासी श्योपुर कलां, तहसील श्योपुर कलां, जिला श्योपुर कलां(मध्यप्रदेश)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कान्ती देवी पुत्री स्वर्गीय गुलाब चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा हाल निवासी मकान नम्बर 4–जे–1 , दादाबाड़ी नसिया जी के पास, कोटा(राज0)।
2. स्वर्गीय बादाम बाई पुत्री स्वर्गीय गुलाब चन्द पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा जरिये कायम मुकामान–

2/1. शंभू दयाल आत्मज स्वर्गीय भंवरलाल जाति महाजन निवासी जनता डेयरी के पास, भैरू जी वाला मकान, कैथूनीपोल, कोटा(राज0)।

2/2. राजेन्द्र आत्मज स्वर्गीय भंवरलाल जाति महाजन निवासी बी–128, इन्द्र विहार, कोटा(राज0)।

2/3. स्वर्गीय गीता बाई पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल पत्नि प्रेमचन्द जी शेखावाटी जाति महाजन निवासी मंगलपुरा पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)। जरिये कायम मुकामान–

2/3/1. गिर्राज पुत्र स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)। मृतक जरिये कायम मुकाम–

2/3/1/1. श्रीमति अंतिमा पत्नि गिर्राज

2/3/1/2. दर्शना पुत्री स्व. गिर्राज

2/3/1/3. स्नेहा पुत्री स्व. गिर्राज

2/3/1/4. समर्थ पुत्र स्व. गिर्राज

2/3/2. पुष्पेन्द्र पुत्र स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)।

2/3/3. अनिल पुत्र स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)।

2/3/4. जस्सू पुत्री स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)।

2/4. ललता उर्फ ललिता पुत्री स्वर्गीय बादाम बाई एवं स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी कृष्णकुमार जाति महाजन निवासी 7–एल–53, महावीर नगर तृतीय, कोटा(राज0)।

2/5. किशकिन्धा देवी पुत्री स्वर्गीय बादाम बाई एवं स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी मुकुट बिहारी जाति महाजन निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

2/6. मन्जू देवी पुत्री स्वर्गीय बादाम बाई एवं स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी दीपक जाति महाजन निवासी नैनवां रोड, हनुमान मंदिर के पास की गली, बून्दी(राज0)।

3. स्वर्गीय अमरा पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा जरिये कायम मुकामान–

3/1. कालूलाल आत्मज स्वर्गीय अमरा जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज)।

3/2. महावीर आत्मज स्वर्गीय अमरा जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज)।

4. स्वर्गीय बृजमोहन आत्मज स्वर्गीय गुलाब चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा जरिये कायम मुकामान–

4/1. ओम प्रकाश आत्मज स्वर्गीय बृजमोहन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

4/2. रमेशचन्द्र आत्मज स्वर्गीय बृजमोहन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

4/3. सावित्री पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नि कैलाश चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम खातौली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज0)।

4/4. इन्द्रा बाई पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नी सुरेश कुमार जाति महाजन निवासी श्योपुर कलां, तहसील श्योपुर कलां, जिला श्योपुर कलां(मध्यप्रदेश)।

4/5. शिमला बाई पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नी रमेशचन्द जाति महाजन निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़(राज0)।

4/6. सन्जू बाई पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नि योगेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी खाई रोड नयापुरा कोटा जिला कोटा (राज0)।

5. स्वर्गीय पूरणमल आत्मज स्वर्गीय गुलाब चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)। जरिये कायम मुकामान–

5/1. बनवारी आत्मज स्वर्गीय पूरणमल जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

5/2. महेन्द्र आत्मज स्वर्गीय पूरणमल जाति महाजन निवासी स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, महावीर नगर तृतीय, कोटा जिला कोटा(राज0)।

5/3. सुरेश आत्मज स्वर्गीय पूरणमल जाति महाजन निवासी स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, महावीर नगर तृतीय, कोटा जिला कोटा(राज0)।

5/4. मन्जू पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नी रमेशचन्द जाति महाजन निवासी प्रताप चौक, बारां जिला बारा(राज0)।

5/5. चन्द बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नि दिनेश जाति महाजन निवासी विवेकानन्द नगर कोटा(राज0)।

5/6. भगवती बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नी राजेन्द्र बंसल जाति महाजन निवासी स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, महावीर नगर तृतीय कोटा, जिला कोटा(राज0)।

5/7. गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नी विनोद अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम तालेड़ा, तहसील तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/12

1. सूरज बाई पत्नी स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. हुकुम चन्द पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
3. प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. अमित कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
6. सुनील कुमार मंगल पुत्र स्वर्गीय प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी श्रीराम क्लिनिक नयापुरा, सब्जीमण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)।
7. विमला पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पत्नी मदम कुमार जाति महाजन निवासी मोरी के हनुमान जी के सामने, धानमण्डी, कोटा(राज0)।
8. उषा पुत्री स्व0 प्रेमचन्द पत्नी भगवती प्रसाद जाति महाजन निवासी श्योपुर कलां, तहसील श्योपुर कलां, जिला श्योपुर कलां(मध्यप्रदेश)।
9. सुमन पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पत्नी आलोक जाति महाजन निवासी 115, चित्रगुप्त नगर, इमली फाटक, जयपुर(राज0)।
10. अनिता पुत्री स्वर्गीय प्रेमचन्द पत्नी कमल कुमार जाति महाजन निवासी श्योपुर कलां, तहसील श्योपुर कलां, जिला श्योपुर कलां(मध्यप्रदेश)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कान्ती देवी पुत्री स्वर्गीय गुलाब चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा हाल निवासी मकान नम्बर 4–जे–1 , दादाबाड़ी नसिया जी के पास, कोटा(राज0)।
2. स्वर्गीय बादाम बाई पुत्री स्वर्गीय गुलाब चन्द पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा जरिये कायम मुकामान–

   2/1. शंभू दयाल आत्मज स्वर्गीय भंवरलाल जाति महाजन निवासी जनता डेयरी के पास, भैरू जी वाला मकान, कैथूनीपोल, कोटा(राज0)।

   2/2. राजेन्द्र आत्मज स्वर्गीय भंवरलाल जाति महाजन निवासी बी–128, इन्द्र विहार, कोटा(राज0)।

2/3. स्वर्गीय गीता बाई पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल पत्नि प्रेमचन्द जी शेखावाटी जाति महाजन निवासी मंगलपुरा पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)। जरिये कायम मुकामान–

2/3/1. गिर्राज पुत्र स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)। मृतक जरिये कायम मुकाम–

2/3/1/1. श्रीमति अंतिमा पत्नि गिर्राज

2/3/1/2. दर्शना पुत्री स्व. गिर्राज

2/3/1/3. स्नेहा पुत्री स्व. गिर्राज

2/3/1/4. समर्थ पुत्र स्व. गिर्राज

2/3/2. पुष्पेन्द्र पुत्र स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)।

2/3/3. अनिल पुत्र स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)।

2/3/4. जस्सू पुत्री स्वर्गीय गीताबाई व प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी मंगलपुरा, पुलिस चौकी के पास, झालावाड़(राज0)।

2/4. ललता उर्फ ललिता पुत्री स्वर्गीय बादाम बाई एवं स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी कृष्णकुमार जाति महाजन निवासी 7–एल–53, महावीर नगर तृतीय, कोटा(राज0)।

2/5. किशकिन्धा देवी पुत्री स्वर्गीय बादाम बाई एवं स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी मुकुट बिहारी जाति महाजन निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

2/6. मन्जू देवी पुत्री स्वर्गीय बादाम बाई एवं स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी दीपक जाति महाजन निवासी नैनवां रोड, हनुमान मंदिर के पास की गली, बून्दी(राज0)।

3. स्वर्गीय अमरा पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा जरिये कायम मुकामान–

3/1. कालूलाल आत्मज स्वर्गीय अमरा जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज)।

3/2. महावीर आत्मज स्वर्गीय अमरा जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज)।

4. स्वर्गीय बृजमोहन आत्मज स्वर्गीय गुलाब चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा जरिये कायम मुकामान–

4/1. ओम प्रकाश आत्मज स्वर्गीय बृजमोहन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

4/2. रमेशचन्द्र आत्मज स्वर्गीय बृजमोहन जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

4/3. सावित्री पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नि कैलाश चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम खातौली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज0)।

4/4. इन्द्रा बाई पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नी सुरेश कुमार जाति महाजन निवासी श्योपुर कलां, तहसील श्योपुर कलां, जिला श्योपुर कलां(मध्यप्रदेश)।

4/5. शिमला बाई पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नी रमेशचन्द जाति महाजन निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़(राज0)।

4/6. सन्जू बाई पुत्री स्वर्गीय बृजमोहन पत्नि योगेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी खाई रोड नयापुरा कोटा जिला कोटा (राज0)।

5. स्वर्गीय पूरणमल आत्मज स्वर्गीय गुलाब चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)। जरिये कायम मुकामान–

5/1. बनवारी आत्मज स्वर्गीय पूरणमल जाति महाजन निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

5/2. महेन्द्र आत्मज स्वर्गीय पूरणमल जाति महाजन निवासी स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, महावीर नगर तृतीय, कोटा जिला कोटा(राज0)।

5/3. सुरेश आत्मज स्वर्गीय पूरणमल जाति महाजन निवासी स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, महावीर नगर तृतीय, कोटा जिला कोटा(राज0)।

5/4. मन्जू पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नी रमेशचन्द जाति महाजन निवासी प्रताप चौक, बारां जिला बारा(राज0)।

5/5. चन्द बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नि दिनेश जाति महाजन निवासी विवेकानन्द नगर कोटा(राज0)।

5/6. भगवती बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नी राजेन्द्र बंसल जाति महाजन निवासी स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, महावीर नगर तृतीय कोटा, जिला कोटा(राज0)।

5/7. गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल पत्नी विनोद अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम तालेड़ा, तहसील तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0) ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पो0 संख्या 1, 2/3/1

से 2/6 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय **दिनांक: 16.06.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 75/2014 मे पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.09.2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री तथा दूसरी अपील अंतिम निर्णय व डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की ग्राम ढीबरी चम्बल की खसरा नम्बर 492 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 2.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बब 496 रकबा 2.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 9.14 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है जिसमे वादिया का 1/15 हिस्सा अर्थात 0.61 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार ग्राम बोरदा की खाता संख्या 68 मे दर्ज आराजी संख्या 476 रकबा 3.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 3.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 1.63 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 9.40 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड जिसमे वादिया का 1/5 हिस्सा अर्थात 1.90 हैक्टेयर निहित है। इसी प्रकार ग्राम बोरदा की खाता संख्या 71 मे दर्ज खसरा नम्बर 485 रकबा 1.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 486 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.99 हैक्टेयर मे वादिया का 1/5 हिस्सा अर्थात 1.19 हैक्टेयर निहित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादिया का कुल 3.70 हैक्टेयर रकबा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उनके पिता गुलाबचन्द के देहान्त के उपरान्त शामलाती रूप से प्राप्त हुई थी। गुलाबचन्द की मृत्यु के बाद से ही वादिया एवं प्रतिवादीगण बाहमी समझौते के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। बाहमी समझौते के अनुसार वादिया के हिस्से की आराजी 3.70 हैक्टेयर के लिये वादिया के हिस्से

मे माल बोरदा की खसरा नम्बर 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर एवं माल ढीबरी चम्बल की खसरा नम्बर 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर दी गई थी , तभी से वादिया अपने हिस्से की उक्त आराजी पर काबिज है। प्रतिवादीगण अब वादिया को उक्त हिस्से की आराजी पर वादिया के शांतिपूर्वक काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है, और वादिया के हिस्से की आराजी से वादिया को जबरदस्ती ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिया ने प्रतिवादीगण से वादिया के शामलाती खाते का बंटवारा करवाये जाने के लिये एवं उसके हिस्से की आराजी पृथक से दर्ज करवाने के लिये कहा तो उन्होने मना कर दिया। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवारा करवाया जाकर वादिया के हिस्से की आराजी खसरा संख्या 3.70 हैक्टेयर उसके पृथक खाते मे दर्ज की जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे वादिया के हिस्से मे आई आराजी माल बोरदा की खसरा नम्बर 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर एवं ढीबरी चम्बल के खसरा नम्बर 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर पर वादिया के शान्तिपूर्वक कब्जे मे दखलंदाजी नहीं करे, वादिया के हिस्से की आराजी बेचान नहीं करे, रहन नहीं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादिया संख्या 4 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 04.03.2020 को वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2020 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से न्यायालय हाजा मे अपील पेश की गई जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय को दिशा–निर्देशों के साथ नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को पुनः जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पानला मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 5/1 व 5/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गए। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 02.09.2021 को वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरदा की

खसरा संख्या 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर एवं ग्राम ढीबरी चम्बल की खसरा संख्या 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर का पृथक से खातेदार घोषित किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की एवं तहसीलदार पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.09.2021 मे संशोधन किये जाने हेतु धारा 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2021 मे संशोधन किया जाकर संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 पारित की तथा तहसीलदार पीपल्दा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार पीपल्दा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर दिनांक 30.09.2021 को उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2021 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में दोनों अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.09.2021 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 02.09.2021 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री 30.09. 2021 निरस्त किये जावें ।

6. अपीलांट की ओर से अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई । प्राथमिक निर्णय व डिक्री के दिनांक 02.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की गई। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

7. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया । हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया।

न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट की ओर से अंतिम निर्णय व डिकी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलांट की ओर से अंतिम निर्णय व डिकी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2021/166 अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और आगे बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 02.09.2021 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 30.09.2021 विधि विरूद्ध एवं न्याय संचिका मे निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद मे केवल मात्र वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विभाजन कर अन्य सहखातेदारान के हिस्से का विभाजन नहीं कर प्रारम्भिक डिकी पारित करने की त्रुटि की है, जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा निर्णित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब वादिया के अलावा अन्य सहखातेदारान का हिस्सा ही विभाजित नहीं किया फिर भी तहसीलदार पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है, जबकि अंतिम डिकी मे प्राथमिक डिकी के अनुसार वर्णित पक्षकारान के हिस्से के अनुसार ही विभाजन किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड निर्देश दिनांक 21.10.2020 के पश्चात दिनांक 04.03.2021 को जवाबदावा दिनांक 11.03.2021 को पेश करने का आदेश देने के पश्चात केवल दिनांक 06.04.2021 को ही पीठासीन अधिकारी के समक्ष पत्रावली पेश हुई तथा दिनांक 03.07.2021 को जवाब बन्द कर निर्णय पारित किया है तथा अपीलांटगण को जवाबदावा पेश करने का उचित अवसर नहीं देकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को वादी से जिरह करने का अवसर नहीं देकर निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। वाद मे पूर्व मे भी वादी की शहादत एकतरफा कार्यवाही मे की गई थी, जिससे एकतरफा होने से जिरह नहीं की गई तथा ऐसी शहादत को रिमाण्ड के बाद भी बिना जिरह के स्वीकार करने मे भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के पूर्व मे विभाजन मानकर खसरा नम्बर 487, 497 की भूमि वादिया के हिस्से मे निर्धारित किये जाने मे भारी त्रुटि की है, वाद मे पूर्व मे विभाजन का प्रमाण नहीं है तथा यह भी प्रमाण नहीं है कि किस–किस सहखातेदार को कौन–कौनसी भूमि विभाजन मे दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सूचित किये व बिना बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2021 को जारी निर्णय व डिकी मे सभी कोटीनेन्ट का हिस्सा निर्धारित किये बिना जारी की गई, जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा मे

अपील प्रस्तुत कर दिनांक 24.09.2021 को रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति का स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अधीनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना निर्णय पारित करने की त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो बंटवारा रिपोर्ट तलब की है, वह सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार नहीं की गई है, पक्षकारों के कब्जे के संबंध मे आस पडौस वालो से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की गई है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई बंटवारा रिपोर्ट अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सूचित किये ही निर्णय पारित किया गया है। अन्त मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 02.09.201 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 30.09.2021 खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट स. 1, 2/1, 2/3/1 से 2/6 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिकी उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज उनके हक हिस्से अनुसार पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की जाकर तहसीलदार पीपल्दा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे तहसीलदार पीपल्दा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिकी के अनुसार होने से स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिकी पारित की है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 02.09.2021 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 30.09.2021 विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 02.09.2021 एवं अंतिम डिकी दिनांक 30.09.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने दोनों पत्रावलियों का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया । वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत

वादपत्र मे वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे स्वयं का 1/5 हिस्सा निहित होना बताया है। साथ ही वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने 1/5 हिस्से पर वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी समझौते के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज होना बताया है। वादिया द्वारा बाहमी समझौते के अनुसार स्वयं को अपने हिस्से की भूमि पर माल ढीपरी की खसरा संख्या 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर एवं माल बोरदा की खसरा संख्या 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर पर काबिज काश्त होने का कथन किया है। तथा उसी अनुसार स्वयं के कब्जे की भूमि को बंटवारे से पृथक कर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है। परन्तु वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन की पुष्टि के संबंध मे ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादिया रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मौखिक रूप से कथन किया गया है वह ग्राम ढीपरी की खसरा संख्या 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर एवं ग्राम बोरदा की खसरा संख्या 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है, परन्तु अपने उक्त कथन की पुष्टि हेतु कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सम्पूर्ण विवादित आराजीयात मे से केवल ग्राम ढीबरी चम्बल की खसरा संख्या 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर एवं ग्राम बोरदा की खसरा संख्या 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर पर ही काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे केवल वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दर्ज हिस्से का ही विभाजन करते हुए ग्राम ढीबरी चम्बल की खसरा संख्या 497 रकबा 0.70 हैक्टेयर एवं ग्राम बोरदा की खसरा संख्या 487 रकबा 2.97 हैक्टेयर भूमि को विभाजन से पृथक कर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है, जबकि अन्य पक्षकारान के सहखातेदार होने के बावजूद उनके राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्से को विभाजन से पृथक नहीं किया है। पूर्व मे भी प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.10.2020 मे न्यायालय हाजा का आब्जर्वेशन/विवेचन इस प्रकार है " हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री मे सिर्फ वादिया के हिस्से को पृथक किया है, जबकि ए.आई.आर. 1960(मद्रास) पेज 391 मे यह प्रतिपादित किया गया है कि समस्त सहखातेदारो का हिस्सा पृथक किया जाना अनिवार्य है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा पुनः दिनांक 02.09. 2021 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। पुनः जारी की गई प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.09.2021 मे केवल वादिनी का हक अधिकार तय कर दिया। अन्य हितधारी का क्या हक अधिकार है अथवा नहीं है, यह प्राथमिक डिक्री मे अंकित होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पीकिंग व रिजन्ड निर्णय पारित

नहीं किया है। निर्णय दिनांक 02.09.2021 मे अंकित किया गया है कि " प्रकरण मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण मे विवादित आरजी मे वादीगण को पारिवारिक बाहमी बंटवारा अनुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।" इस प्रकार पारिवारिक बाहमी विभाजन को क्यों उचित माना गया यह स्पष्ट नहीं किया। बाहमी विभाजन के सम्बंध मे क्या ठोस आधार थे, यह निर्णय के निष्कर्ष मे अंकित नहीं किया है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2021 के संबंध मे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी बाबत संशोधित किये जाने ग्राम ढीबरी चम्बल के स्थान पर आडागेला उर्फ हरिनगर संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 पारित की गई। प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.09.2021 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 22.09.2021 को न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। दिनांक 24.09.2021 को न्यायालय हाजा ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2021 के विरूद्ध अपील दर्ज रजिस्टर करते हुए रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश स्थगन के रूप मे दिए तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड की तलबी हेतु आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2021 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 24.09.2021 के बावजूद अंतिम डिक्री जारी कर दी। अतः यहां यह तकनीकि प्रश्न है कि क्या दिनांक 24.09.2021 को आदेश के बाद अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2021 पारित किया जाना उचित है ? यहां पर यह सम्भव है कि अपीलांट पक्षकार ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 24.09.2021 की जानकारी नहीं दी हो, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका मे इसका कोई जिक नहीं है। अतः तकनीकि रूप से दिनांक 24.09.2021 को स्थगन आदेश जारी हो गया था। विभाजन प्रस्ताव पर पटवार मंडल बोरदा दिनांक 18.09.2021 अंकित है तथा नीचे पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर है तथा तहसीलदार पीपल्दा को सम्बोधित इस विभाजन प्रस्ताव पर ही तहसीलदार पीपल्दा के प्रति–हस्ताक्षर अंकित है। इस विभाजन प्रस्ताव पर कहीं अंकित नहीं है कि पक्षकारों को सूचना दी गई अथवा नहीं ? उक्त पत्र से कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि राजस्व कार्मिक किस तारीख को मौके पर गए। तहसीलदार पीपल्दा मौके पर गए या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इस पत्र/प्रस्ताव , जो कि तहसीलदार पीपल्दा को ही सम्बोधित है, पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर से प्रतीत होता है कि तहसीलदार पीपल्दा मौके पर नहीं गए। जबकि नियमानुसार तहसीलदार पीपल्दा को मौके पर जाना चाहिए था तथा पक्षकारों को भी मौके पर उपस्थित होने की सूचना दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

के राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे तहसीलदार पीपल्दा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसकी पालना मे तहसीलदार पीपल्दा द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना प्रतीत होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर विवादित आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिकी पारित की है, जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में हम अपील संख्या 2021/166 एवं 2022/12 स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2021/166 एवं 2022/12 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.09.2021 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 30.09.2021 खारिज की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पैरा संख्या 10 मे की गई विवेचना को ध्यान मे रखते हुए गुणावगुण पर नवीन सिरे से स्पीकिंग व रिजन्ड निर्णय पारित करें तथा राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 20.07.2023 को उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु विलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा